# जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
## (जन–सम्पर्क अनुभाग)
## (प्रेस विज्ञप्ति)

### कृषि उपभोक्ताओं की बढ़ी हुई दरों का भार वहन करेगी राज्य सरकार

### बढ़ी दरों के विपत्रों में संशोधन सहायक अभियन्ता कार्यालय में

जयपुर, 29 अप्रेल। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा शनिवार 25 अप्रेल, 2015 को कृषि उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा की गई वृद्धि के भार को राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने की घोषणा के अनुरुप कृषि उपभोक्ताओं से 20 फरवरी, 2015 से पूर्व की प्रचलित दर से ही विद्युत विपत्रों की राशि ली जाएगी।

विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री संजय मल्होत्रा ने बताया कि ऐसे कृषि उपभोक्ता, जिन्होंने बढ़ी हुई दरों के विद्युत विपत्रों की राशि अभी तक जमा नही कराई है, वे सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में सम्पर्क कर पूर्व की विद्युत दरों के अनुसार अपने विद्युत विपत्र की राशि को संशोधित करवाकर जमा करवा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि जिन कृषि उपभोक्ताओं ने बढ़ी हुई दर से जारी विद्युत विपत्र की राशि जमा करवा दी है, उनकी बढ़ी हुई दर की राशि आगामी विद्युत विपत्रों में समायोजित कर दी जाएगी।

–––––

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 215/2015